कार्यालय – प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उत्तराखंड) 249196
ईमेल : gdcchinyalisaur@yahoon.in वेबसाइट : www.rmcuk.in फोन 01371 237154

COLLEGE PROSPECTUS

विवरणिका सत्र - 2022-23

महाविद्यालय–उद्भव एवं विकास
(College-Inception and Development)

पुण्य सलिला माँ भागीरथी के पावन तट तथा टिहरी झील के अन्तिम छोर एवं उत्तरकाशी–टिहरी के मध्य यह स्थान मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ है। इस सुरम्य तथा काशी विश्वनाथ की पावन धरती पर 01 अगस्त, 2001 को राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़ की स्थापना हुई। शासनादेश के अनुसार प्राचार्य सहित सात विषयों– हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास,राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र तथा भूगोल के साथ इस महाविद्यालय की स्थापना स्थानीय लोगों की माँगों पर की गई थी। महाविद्यालय का शिक्षण सत्र 2001–02 से प्रारम्भ हुआ। उस समय छात्र संख्या मात्र 62 थी जो क्रमशः बढ़ते–बढ़ते सत्र 2021–22 में 579 तक पहुँच गई है।महाविद्यालय में वर्ष 2016 में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से स्नातक की कक्षाओं का सफल संचालन किया जा रहा है जिसमें जन्तु विज्ञान,वनस्पति विज्ञान,भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय प्रमुख है।सीमित संसाधनों के बावजूद महाविद्यालय की शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारु रूप से संचालित हो रही है। 2005–06 में इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 100 छात्र/छात्राओं की एक इकाई प्रारम्भ हुई। दिनांक 30 दिसम्बर 2003 से रोवर्स रेंजर्स की इकाई भी महाविद्यालय में गतिमान है।

वर्तमान सत्र से शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान एवं संस्कृत विषयों का प्रारम्भ हो गया है।

सम्बद्धता (Affiliation)

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक पू0ओ0 संख्या–02/XXIV(7) 2017 उच्च शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 10 अगस्त 2017 तथा निदेशक,उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान /38–40/2018–19 दिनांक 04 अप्रैल 2018 द्वारा महाविद्यालय को स्नातक कला संकाय की सम्बद्धता सत्र 2018–19 से श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त हुई है।

प्रवेश सम्बन्धी आवयक निर्देश
(Important Instructions for Admission)

प्रवेशार्थी मेरिट आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व नियम आवश्यक रूप से पढ़ ले तथा प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक अर्हता पूर्ण करने के पश्चात ही प्रवेश आवेदन पत्र भरे। जिस प्रवेशार्थी के पास न्यूनतम आवश्यक अर्हता नहीं है फिर भी वह आवेदन करता है तो वह किसी भी प्रकार के प्रवेश का दावेदार नहीं होगा।

महाविद्यालय में बी0ए0/बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु श्रेष्ठता/मेरिट फार्म महाविद्यालय की वेबसाइटwww.gdccu.org.in से प्राप्त कर लें। मेरिट फार्म पूर्णतया भरकर उसमें निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें :–

1. हाई स्कूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका/प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र वैधता के साथ(ओ0 बी0 सी0 प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड सरकार की वैधता 03 वर्ष तथाभारत सरकार की सेवाओं के लिएउत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्तओ0 बी0 सी0 प्रमाण पत्र की वैधता 01 वर्ष है)
4. आधार कार्ड
5. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र
6. एन0एस0एस0, एस0सी0सी0, खेलकूद,स्काउट एवं अन्य दस्तावेज।
7. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का आरक्षण सम्बन्धीवैध प्रमाण पत्र

8. नोट– जाति / आरक्षण सम्बन्धीवैध प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में प्रवेषार्थी को सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।

सभी प्रवेशार्थी मेरिट आवेदन पत्र एवं उपरोक्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति 50 रूपये पंजीकरण शुल्क के साथ महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करेंगे।

मेरिट आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
मेरिट सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को महाविद्यालय की वेबसाइट से ऑन लाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त करें। प्रवेशार्थी आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र जमा नहीं किया जायेगा।

1. **हाई स्कूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।**
2. **इण्टरमीडिएट अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।**
3. **जाति प्रमाण पत्र वैधता के साथ की स्वप्रमाणित छाया प्रति।**
4. **आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति।**
5. **स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।**
6. **एन0एस0एस0, एस0सी0सी0, खेलकूद,स्काउट एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति।**
7. **आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का आरक्षण सम्बन्धीवैध प्रमाण पत्र ।**
8. **एन्टीरैगिंग शपथ पत्र की मूल प्रति।**
9. **उपस्थिति शपथ पत्र की मूल प्रति।**
10. **अन्तिम षिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी0सी0) की मूल प्रति।**
11. **एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक अन्तराल होने पर प्रवेषार्थी को गैप संबधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम (06 माह से अधिक पुराना न हो), दो चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना आवष्यक है।**

सभी प्रवेषार्थी को अपने समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ साक्षात्कार समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थिति होना आवष्यक है।

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन सर्टिफिकेट एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में लगाना आवश्यक है।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां लगायी जानी आवश्यक है।
4. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (रंगीन) को उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
5. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत विषय परिवर्तन कर सकती है।
6. प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार किया नहीं जायेगा।
7. महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश देने हेतु मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
8. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अन्तिम अधिसूचित तिथि से पूर्व एक मुश्त वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अन्तिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग/ विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहन) को यदि वे अर्ह हों तो सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
11. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
12. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रवेश नियम सत्र 2022–23

(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें।

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राचार्य, प्रवेश समितियों का गठन करेंगें जो अलग–अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगें। तत्पश्चात संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
2. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला संकाय में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
3. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा के अनुभाग–4 के पत्रांक 1022/XXIV(4)/2019–01(03)/2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत है

अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणियों के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा– उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत, दिव्यांग 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित 02 प्रतिशत।

(i) उक्त आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।

(ii) उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्तें वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो।

(iii) उत्तराखण्ड के बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड केअभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधारपर प्रवेश दिया जा सकता है।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

4. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्तें उन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
5. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए तभी अर्ह हैं यदि दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा इण्टरमीडिएट में पांच विषय हैं।
6. स्नातक विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
7. संस्थागत प्रवेशार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत प्रवेशार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी/लोकसभा/विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 एवं बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें जिसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
9. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ **स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC)** तथा **चरित्र प्रमाण पत्र**(CC) मूल रूप से संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर **प्रवजन प्रमाणपत्र** (Migration Certificate)जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

10. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति /प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा ताकि उसके छाया चित्र एवंम प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
11. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस महाविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र–छात्राऐं अथवा ड्राप– आउट भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र–छात्रा द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हों।
12. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैद्य कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जासकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन पत्र एवम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर (छः) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होने पूरे समय शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक निर्गत किया गया हो और उसने चिकित्सा अवकाश के आधार पर भूतपूर्व छात्र हेतु आवेदन किया हो।
14. जिन छात्र/छात्राओं की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
15. संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र–छात्रा एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो या चुकी हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः उसी कक्षा/दूसरे संकाय में किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
16. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
17. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
18. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एंव परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
19. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेगें उनकी सूचना समय–समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें।
20. संस्थागत छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकेंगे और ना ही उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित सकेंगें। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वद्यिालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
21. यदि किसी छात्र ने बी०ए० प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप में प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी०ए० प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
22. **उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेष के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
23. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को प्रवेश तिथि में 30 दिनों के छूट के साथ–साथ सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
24. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गयी है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा और कानून के दायरे में आ जायेगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू०जी०सी० की वेबसाइट पर एन्टीरैगिग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
25. छात्र/छात्राओं द्वारा अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वे प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता/करती हैं तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है परन्तु छात्र/छात्राओं द्वारा शपथ पत्र एवं दो चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने होगेंजो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हों।
26. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
27. **किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में 2वर्ष से अधिक गैप के पष्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विष्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पष्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया**

हो और उसकी परीक्षा भी दी तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 06 वर्ष में उत्तीर्ण करना आवष्यक होगा। उक्त अवधि सुनिष्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अन्तिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश देंगे।
2. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट के आधार पर दिये जायेंगे।
3. योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनायी जायेगी।
4. अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आवंटित कर अन्तिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा :–

(i) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 02 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 03 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 05 अंक। **(अधिकतम 05 अंक)**

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए' 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घण्टे + दो विशेष शिवरों को 02 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 03 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/ गणतंत्र दिवस परेड को 05 अंक। **(अधिकतम 05 अंक)**

(iii) स्काउट के पद सोपान–1 धारक को 01 अंक तथा पद सोपान–3 धारक को अतिरिक्त 02 अंक देय होगें, निपुण धारक को 01 अंक, राज्य पुरस्कार को 02 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 03 अंक देय होंगें। **(अधिकतम 05 अंक)**

(iv) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमशः 05 तथा 07 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

नोटः– उपरोक्त प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में 07 अंको से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

(v) सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के अधीनस्थ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को 03 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोटः– अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।

संकायों का विवरण
(DESCRIPTION OF FACULTIES)

1. विज्ञान संकाय (FACULTY OF SCIENCE)

बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम –

बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गों में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अर्थात गणित संवर्ग (गणित, रसायन, भौतिक) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग (वनस्पति, रसायन, जन्तु), से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राणी विज्ञान संवर्ग के विषय ही अनुमन्य होगें। अभ्यर्थी वरीयता क्रम अपने संवर्ग में तीन विषय, प्रवेश आवेदन पत्र पर अंकित करेंगें।

स्नातक विज्ञान वर्ग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु नियम

स्नातक विज्ञान वर्ग के बी.एस–सी. प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो इण्टरमीडिएट स्तर तक विज्ञान के छात्र रहे हैं। अनुवर्ग का चयन करते समय प्रवेशार्थी को यह ध्यान रखना होगा कि चयनित वैकल्पिक विषयों में से कम से कम दो ऐसे विषय होंगे, जिन्हें छात्र/छात्रा ने इण्टरमीडिएट स्तर तक पढ़ा हो।

छात्र/छात्रा निम्नलिखित अनुवर्गों में से कोई एक अनुवर्ग ले सकते हैं–

1- भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान ,वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान।

2- विज्ञान संकाय में विषयवार उपलब्ध सीटों की संख्या निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	विषय	सीटों की संख्या
1	भौतिक विज्ञान	60
2	गणित	60
3	जन्तु विज्ञान	60
4	वनस्पति विज्ञान	60
5	रसायन विज्ञान	120

2–कला संकाय (FACULTY OF ARTS)

बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम –

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयों का चयन करना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र/छात्रा भूगोल के साथ इतिहास का चयन नहीं कर सकता।
3. केवल वे छात्र/छात्रा भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो।
4. केवल वे छात्र/छात्रा गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. **कला संकाय में निम्न विषय महाविद्यालय में सचालित हैं जिनमें स्वीकृत सीटो का विवरण निम्न प्रकार हैः–**

क्र0स0	विषय	सीटों की संख्या
1	हिन्दी	80
2	अंग्रेजी	80
3	अर्थशास्त्र	80
4	समाजशास्त्र	80
5	राजनीति विज्ञान	80
6	इतिहास	80
7	भूगोल	80
8	संस्कृत	60
9	शिक्षाशास्त्र	60
10	गृह विज्ञान	60

परिचय पत्र
(Identity Card)

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने पास परिचय पत्र रखना अति आवश्यक है। यदि अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र प्रस्तुत करने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय –पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखें। **परिचय–पत्र खो जाने की दशा में इसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दें तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर 50.00 रूपये नकद जमा करने पर ही दूसरा परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। विद्यार्थी को शुल्क रसीद अनिवार्यतः सुरक्षित रखनी चाहिए। शुल्क रसीद सत्यापन के लिए कभी भी मांगी जा सकती है।**

निर्धन छात्र सहायता कोष

(Indigent Student's fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता नहीं मिल पायी है वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद के पास कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उपस्थिति नियम

(Rules for Attendance)

शासनादेश संख्या–528 (1) 15 (उ.शि.) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।
   (ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता में समाहित कर दी जायेगी। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया गयाहो।

नोटः–प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2021–22 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा अपितु राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स–रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय पुस्तकालय

(College Library)

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र–छात्राओं की सुविधानुसार पुस्तकें प्राप्त करने के लिये तिथियां निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिनों में पुस्तकें वर्ष भर निर्गत की जाती है।

1. पुस्तक प्राप्त करने हेतु निर्धारित मांग पत्र भर कर पुस्तकालय में जमा करना होता है, यदि वह पुस्तक किसी को न दी गई हो तब वह छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय पत्र दिखाने पर ही मिल सकती है।
2. एक समय में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर दी जा सकती हैं जो कि 14 दिन में निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि पर पुस्तक न जमा करने पर 10 रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड लगेगा।
3. कोई भी पत्रिका नई या पुरानी परिचय–पत्र पर नहीं दी जायेगी। जो छात्र/छात्रा इन्हें पढ़ना चाहते हैं वे वाचनालय में अपना परिचय पत्र जमा कर पढ़ सकते हैं।
4. संदर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होंगी।
5. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले की होगी। यदि कोई पुस्तक में किसी भी प्रकार की क्षति (जैसे फाड़ना, पृष्ठ मोड़ना) एवं पुस्तक खोने की दशा में पुस्तक लेने वाले को नयी पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय उसकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए कि पुस्तक की दशा ठीक है या नहीं अन्यथा क्षति हेतु पुस्तक लेने वाले उत्तरदायी होंगे। पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर नई पुस्तक या उसका मूल्य जमा करना होगा है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिलती है तो इस आशय का प्रमाण पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना होगा।

6. परीक्षा से पूर्व पुस्तकें जमा करके अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

वाचनालय
(Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिये सदैव समाचार पत्र, मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट प्रयोगशाला
(Computer Networking and Internet Laboratory)

महाविद्यालय के स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं हेतु कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट प्रयोगशालाकी स्थापना की गई है। जिसमें उक्त कक्षाओं के छात्र–छात्राएं अपने विषय का ज्ञान इण्टरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला की सदस्यता हेतु अलग से सदस्यता शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल
(Career Counselling and Placement Cell)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमें क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पर्द्धा उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने, रोजगार परक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

अभिभावक–शिक्षक परिषद
(Parent & Teacher Association)

जिस प्रकार भूतपूर्व छात्र परिषद् में छात्रों के हितार्थ भूतपूर्व विद्यार्थियों को उनकी सहयोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें महाविद्यालय में बुलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक–शिक्षक परिषद् का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चुनाव भी अभिभावकों में से ही किया जाता है। अभिभावक शिक्षक परिषद की बैठकें समय–समय सम्पादित की जाती हैं।

महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ
(Women's Harassment Redressal Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख–रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

अनुशासन एवं शास्ता मण्डल
(Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctor) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक–एक शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून विरुद्ध कार्य न करें और न ही अशान्ति फैलायें, यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध :–

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना ।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. कूटरचित हस्ताक्षर, असत्य प्रमाण पत्र या असत्य बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लघंन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेध :–

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर करना सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में चूइंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय–पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलितहोने से भी रोका जा सकता है।
8. **महाविद्यालय परिसर में मल्टीमीडिया फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शास्ता मण्डल द्वारा कभी भी जांच के समय उक्त फोन के पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।**

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय–पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा परिचय–पत्र की प्रतिलिपि मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।

2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जायेंगें ।
4. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

रैगिंग एक कानूनी अपराध
(Ragging : A Legal Offence)

कालेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैगिंग एक असमाजिक, आपराधिक एवं अमानवीय कृत्य है जिसे हर दशा में रोका जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। इसमें ढाई लाख रुपये तक का अर्थदण्ड भी सम्मिलित है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध रैगिंग समिति अपराध के गम्भीरता को देखते हुये निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है।

1. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना ।
2. महाविद्यालय से निष्कासन /निलम्बन किया जाना।
3. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
4. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।
5. अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

रैगिंग का तात्पर्य

किसी छात्र/छात्रा को बोलकर लिखकर, संकेत द्वारा, हाव–भाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना उन्हें मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना, परेशान करना उनके क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिये बाध्य करना जिन्हें वे करना नहीं चाहते या शर्म महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता अनुभव होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो। इसके अतिरिक्त किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।

रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं. 310/04 ए.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 27 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम् कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है।

पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप
(Co-Curricular Activities)

1. **छात्रसंघ**–छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P. (Civil) No. 24295/2004/ दिनांक 26–6–2004 जो महाविद्यालय भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV (6)/2007-3 (दिनांक 27–02–2007, से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध 168/2001 महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर संपन्न कराये जायेंगे।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना–"मैं नहीं परन्तु आप" (Not Me But You) की भावना पर आधारित रा.से.यो. के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती हैं जैसे–शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिये कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम वर्तमान में महाविद्यालय में रा.से.यो. की एक इकाई कार्यरत है, जिसके तहत 100 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं, सत्र 2004–05 से वि.वि. द्वारा रा.से.यो. 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षायें भी आयोजित की जा रही है। जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जायेगा। एन.सी.सी. में पंजीकृत छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी बनने हेतु अर्ह नहीं है।

3. एन0सी0सी0 यूनिट हेतु एन0सी0सी0 बटालियन में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जल्द ही एन0सी0सी0 यूनिट प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

4. **रोवर्स एवं रेंजर्स**–महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता, सेवाभाव एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिये भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड के निर्देशन में महाविद्यालय में रोवर्स–रेंजर्स की इकाई दिनांक 30 दिसम्बर 2003 को स्थापित हुई, जिसमें रोवर्स एवं रेंजर्स के 12–12 स्थान निर्धारित हैं। इन्हें क्रमशः हिमाद्रि एवं गंगोत्री नाम से पंजीकृत किया गया है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन किया जाता है। जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता हैं। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उपराष्ट्रपति प्रमाण पत्र सहित, प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण–पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित है।

5. विभागीय परिषदें–महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि में प्रतिभाग करते हैं। अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक दिया जाता है।

6. क्रीड़ा एवं खेलकूद–**"स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है"** महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ–साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती है। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, बॉलीवॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलों की सुविधाएँ उपलब्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान
(Mission Clean India)

'राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान' के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखने हेतु सप्ताह में एक दिन कक्षावार प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्रध्यापक एवं कर्मचारी स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरुप,

महाविद्यालय परिसर स्वच्छ बने रहेंगे और इनके आस–पास के क्षेत्र भी साफ–सुथरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कूड़ा–करकट केवल महाविद्यालय में रखे कूड़ेदान में ही डालें अन्यत्र नहीं फेंके तथा तम्बाकू आदि अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करें, ताकि महाविद्यालय का पर्यावरण दूषित होने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति परिसर या इसके आस–पास गन्दगी एवं प्रदूषण फैलाते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नमामि गंगे परियोजना

(Namami Gange Project)

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 में गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु **'नमामि गंगे परियोजना'** की शुरूआत की है। इस परियोजना का उद्‌देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना एवं नदी को पुनर्जीवित करना है। महाविद्यालय में प्रथम बार केन्द्र सरकार द्वारा संचालित **'नमामि गंगे परियोजना'** के अन्तर्गत आयोजित **'गंगा स्वच्छता पखवाड़ा'**16 से 31 मार्च 2021को आयोजित किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये जाते हैं।

एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब

(Ek Bharat Shreshtha Bharat Club)

केन्द्र शासन द्वारा प्रेरित तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत **'एक भारत श्रेष्ठभारत'** अभियान के तहत महाविद्यालय में 50 छात्र–छात्राओं का एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब गठित किया गया है। इस क्लब के अन्तर्गत प्रत्येक माह में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना एवं बन्धुत्व को जागृत करने हेतु विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

अनुपालनीय बिन्दु

(अ) उत्तराखण्ड शासन के नवीनतम आदेश के आलोक में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने हेतु महाविद्यालय के मुख्य परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे तथा अपराह्न 4:00 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत का वादन किया जायेगा।

(ब) 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता को कठोरता से लागू किया जायेगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। अतः नये सत्र से पुस्तकों को कम्प्यूटर विधि से निर्गत किया जायेगा।

प्राध्यापकों की सूची

प्राचार्य – प्रो० प्रभात द्विवेदी

क्र०सं०	प्राध्यापक	पद
1.	डॉ० विक्रम सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र
2.	डॉ० प्रमोद कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र
3.	डॉ० शैला जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी
4.	श्री दिनेश चन्द	असिस्टेंट प्रोफेसर गणित
5.	डॉ० रजनी लस्याल	असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान
6.	श्री बृजेश चौहान	असिस्टेंट प्रोफेसर जन्तु विज्ञान
7.	कु० कृष्णा डबराल	असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान
8.	श्री खुशपाल	असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास
9.	श्री विनीत कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान
10.	डॉ० अशोक कुमार अग्रवाल	गैस्ट फैकल्टी वनस्पति विज्ञान
11.	श्री आलोक बिजल्वाण	गैस्ट फैकल्टी अंग्रेजी
12.	श्री दीपक धर्मशक्तु	गैस्ट फैकल्टी भूगोल

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची

1.	श्री मोहन लाल शाह	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री सुखदेव सिंह नेगी	प्रयोगशाला सहायक वनस्पतिविज्ञान
3.	श्री रोशन लाल जुयाल	प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान
4.	श्रीमती संगीता बर्पालियाल	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
5.	श्री स्वर्ण सिंह गुलेरिया	कनिष्ठ सहायक
6.	श्री मदन सिंह	प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान
7.	श्री जितेन्द्र सिंह पंवार	प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान
8.	श्री कौशल सिंह बिष्ट	पुस्तकालय लिपिक
9.	श्री धनराज बिष्ट	प्रयोगशाला सहायक भूगोल
10.	श्री सुनील गैरोला	अनुसेवक
11.	श्री अमीर सिंह	अनुसेवक
12.	श्री जय प्रकाश भट्ट	अनुसेवक

13.	श्री सुरेश चन्द रमोला	अनुसेवक
14.	श्री संजय कुमार	स्वच्छक
15.	श्री सुनील चन्द रमोला	अनुसेवक
16.	श्री नरेश चन्द रमोला	अनुसेवक
17.	श्रीमती विजयलक्ष्मी	अनुसेवक
18.	श्रीमती हिमानी रमोला	अनुसेवक

ड्रेस कोड
(DRESS CODE)

स्नातक छात्र	स्नातक छात्रायें
कमीज – क्रीम रंग	कुर्ता– भूरारंग बन्द कॉलर फुल बाजू
पैंट–भूरा रंग	सलवार–क्रीम रंग
टाई – डार्क ग्रे रंग	दुपट्टा– सफेद रंग
स्वेटर– काला रंग	स्वेटर – काला रंग
जूते– काले रंग के	जूते– काले रंग के
मोजे– सफेद रंग के	मोजे– सफेद रंग के

शैक्षणिक कैलेण्डर 2022–23

Academic Calendar 2022-23

1	शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	05–07–2022
2	स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाइन श्रेष्ठता (मेरिट) आवेदन पत्र महाविद्यालय में पंजीयन शुल्क रू0 50/– नगद जमा करने की	11–07–2022 से 20–07–2022 तक

	तिथि।	
3	श्रेष्ठता (मेरिट) आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	20–07–2022
4	स्नातक प्रथम वर्ष की मेरिट सूची प्रकाशन की तिथि	25–07–2022
5	ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र कालेज की वेबसाईड से डाउनलोड कर पूर्णतः भरकर जमा करने तथा साक्षातकार प्रारम्भ होने की तिथि	26–07–2022 से 28–07–2022 तक
6	स्नातक प्रथम सेमेस्टर शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	प्रवेश सस्तुत होने के तीन दिन के अन्दर
7	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय से परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के भीतर	
8	शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	16–08–2022

नोट :– स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी प्रारम्भ में केवल श्रेष्ठता (मेरिट) आवेदन पत्र ही भरें। मेरिट सूची में नाम आने के उपरान्त ही ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेवसाइड<u>www.gdccu.org.in</u>से डाउनलोड कर पूर्णतः भरकर प्रवेश समिति के सम्मुख साक्षात्कार हेतु उपस्थिति हों।

नोटः विश्व विद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशानुसार महाविद्यालय के द्वारा उपरोक्त निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड, उ0का0

ORIENTATION CUM INDUCTION CEREMONY

NEWS AND PHOTOS RELATED TO THE USAGE OF ICT

काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल व स्काई 9 एविएशन अकादमी के संयुक्त तत्वावधान से ऑनलाइन कार्यशाला का किया गया आयोजन

दैनिक बुलन्द वाणी

उत्तर प्रदेश/उत्तरा

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ के छात्र छात्राओं ने वर्चुअल माध्यम से किया प्रतिभाग

ई-कंटेंट तैयार करने के लिए पांच कॉलेज में हुआ एमओयू

उत्तरकाशी और टिहरी जिले के कॉलेज के छात्रों की सुविधा के लिए एक मंच पर आए

NEWS AND PHOTOS RELATED TO THE USAGE OF ICT

कार्यालय – प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उत्तराखंड) 249196
ईमेल : gdcchinyalisaur@yahoon.in वेबसाइट : www.rmcuk.in फोन 01371 237154

LIBRARY FACILITIES

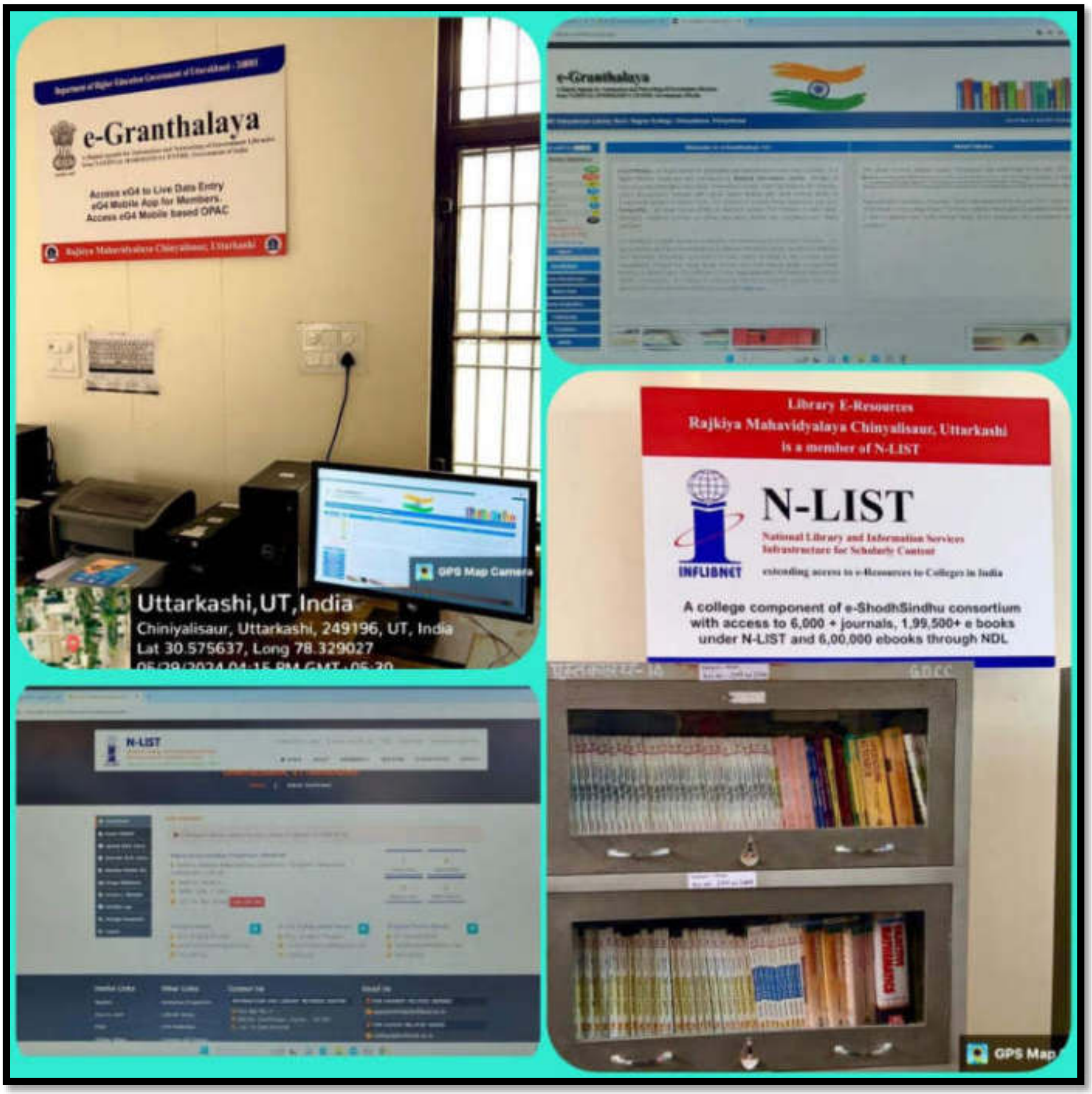

कार्यालय – प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उत्तराखंड) 249196
ईमेल : gdcchinyalisaur@yahoon.in वेबसाइट : www.rmcuk.in फोन 01371 237154

INTERACTIVE LEARNING

बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ द्वारा आयोजित किसान मेले में किया प्रतिभाग'

राजकीय महाविद्यालय
Deep Mushroom Farm

राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड़ के वनस्पति
विज्ञान विभाग के
बीएससी प्रथम सेमेस्टर
का शैक्षणिक भ्रमण
प्रशासनिक भवन
कृषि विज्ञान केन्द्र
प्रशासनिक भवन
कृषि विज्ञान केन्द्र
प्रदर्शन इकाई

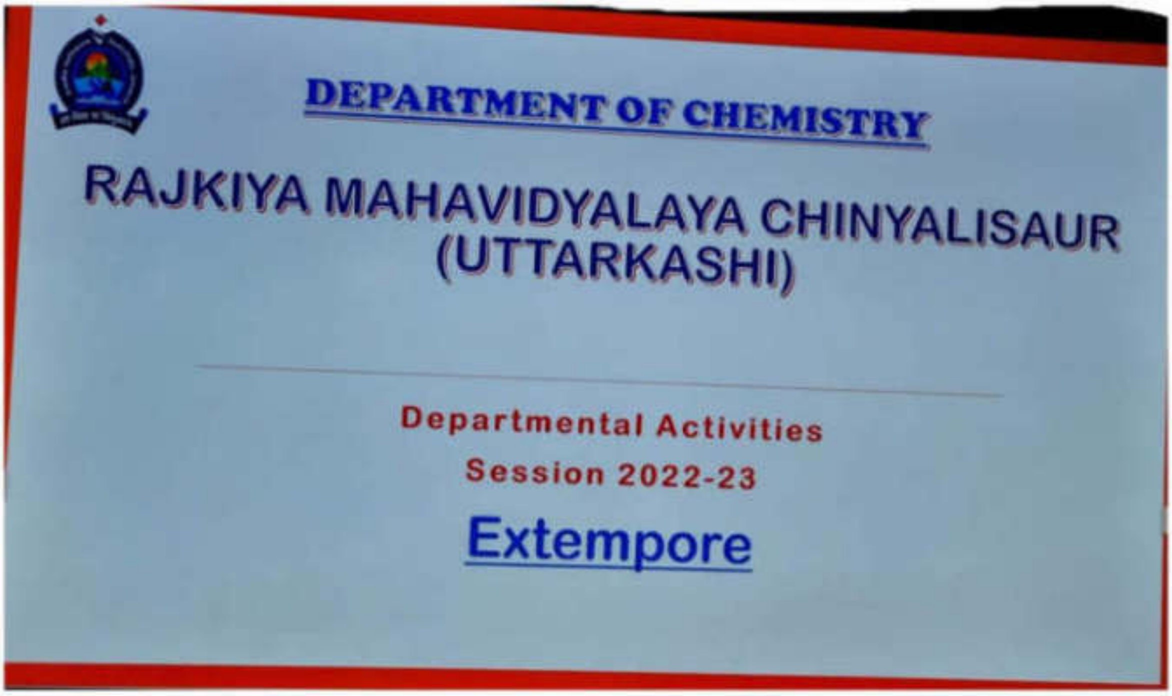
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RAJKIYA MAHAVIDYALAYA CHINYALISAUR
(UTTARKASHI)
Departmental Activities
Session 2022-23
Extempore

कार्यालय – प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उत्तराखंड) 249196
ईमेल : gdcchinyalisaur@yahoon.in वेबसाइट : www.rmcuk.in फोन 01371 237154

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

अमृत महोत्सव
अभियान

राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़
उत्तरकाशी
एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब
कार्यक्रम गतिविधियाँ

राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

Chinyalisour, Uttarakhand, India
H8GH+8G4, Chinyalisour, Uttarakhand 249196, India
Lat 30.575822°
Long 78.328838°
14/06/23 12:16 PM GMT +05:30
Google
GPS Map Camera
The Bharat Scouts & Guides, Uttarakhand
Rovers & Rangers
Rajkiya Mahavidyalaya Chinyalisaur
(Uttarkashi)

Uttarkashi, Uttarakhand, India
XXW3+5RW, Gangotri - Gaumukh Pedestrian Way, Taknaur Renge,
Uttarakhand 249135, India
Lat 30.995572°
Long 78.954299°
01/10/23 09:10 AM GMT +05:30
Google
GPS Map Camera
RAJKIYA MAHAVIDYALAYA
CHINYALISAUR
(UTTARKASHI)
Gangotri to Gaumukh

राजकीय महाविद्यालय
Deep Mushroom Farm

Google
Chinyalisour, Uttarakhand, India
H8GH+8JV, Chinyalisour, Uttarakhand 249196, India
Lat 30.575633°
Long 78.32898°
04/05/23 12:07 PM GMT +05:30
GPS Map Camera

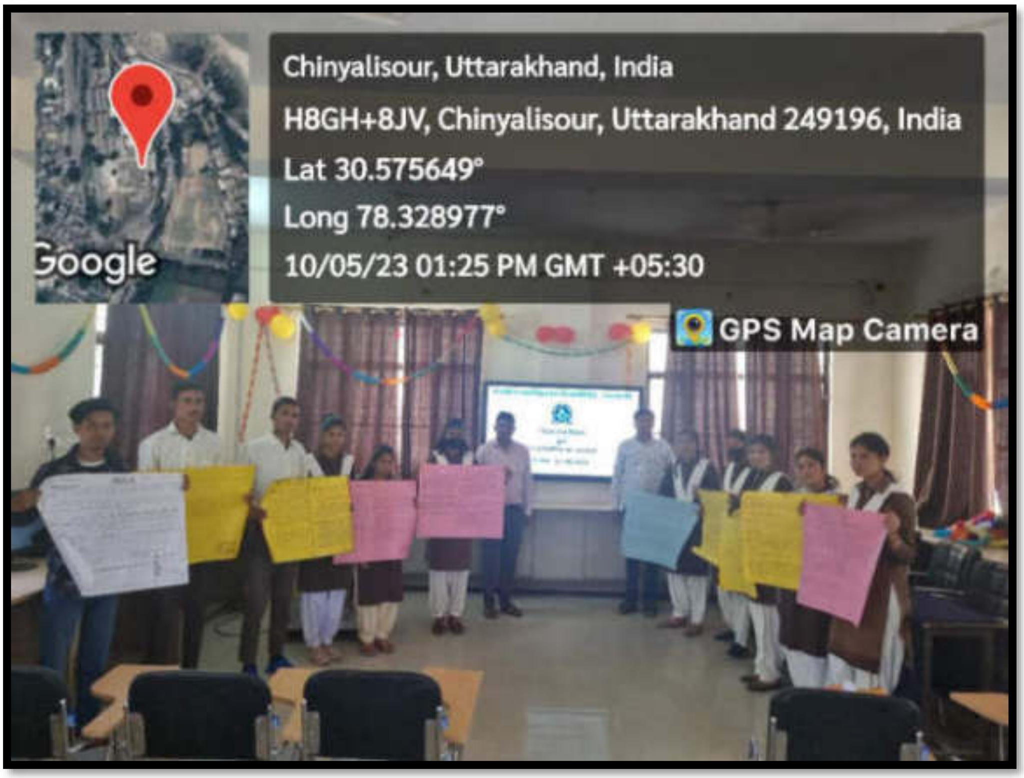
Chinyalisour, Uttarakhand, India
H8GH+8JV, Chinyalisour, Uttarakhand 249196, India
Lat 30.575649°
Long 78.328977°
10/05/23 01:25 PM GMT +05:30
Google
GPS Map Camera

FACULTY MEETINGS

Date
Page No.

बैठक

दिनांक – 09/08/2018

आज दिनांक 09/08/2018 को प्राचार्य कक्ष में महाविद्यालय के सभी विभाग प्रभारियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. प्राचार्य द्वारा सभी उपस्थित प्रभारियों से विषय पाठ्यक्रम की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।
2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली आंतरिक परीक्षा के संबंध में सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए।
3. परीक्षा समिति को परीक्षा से संबंधित आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
4. एन.एस.एस. एवं रोवर्स रेंजर के अन्तर्गत विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम करवाने के निर्देश दिए गए।

1. डॉ० वी०एस० पंवार –
2. श्री प्रमोद कुमार –
3. डॉ० शैला जोशी –
4. डॉ० मंजू भण्डारी –
5. डॉ० उर्मिला राणा –
6. बृजेश चौहान –
7. कृष्णा डबराल –
8. दीपक राणा –
9. डॉ० धनेन्द्र कुमार –
10. श्री प्रतीक गोयल –

Date ______
Page No. ______

बैठक

दिनांक - 19/08/2019

आज दिनांक - 19/08/2019 को प्राचार्य कक्ष में महाविद्यालय के सभी विभाग प्रभारियों एवं समितियों के संयोजकों की बैठक आहूत की गई, इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई -

1. सभी उपस्थित प्रभारियों से विषय संबंधी पाठ्यक्रम की अद्यतन स्थिति की जानकारी एवं समस्त समितियों के संयोजकों से समितियों के बैठकों में लिखित रूप में संकलित करने के निर्देश दिये गये,

2. आंतरिक परीक्षा (लिखित एवं प्रयोगात्मक) आयोजित करवाने के संबंध में समस्त प्राध्यापकों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए,

3. एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) क्लब के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए,

1. डॉ. वी. एस. पंवार — Pawar
2. श्री प्रमोद कुमार — Pramod
3. डॉ. शैला जोशी — [signature]
4. डॉ. मंजू भण्डारी — [signature]
5. श्री दिनेश चन्द्र — Dinesh
6. कृष्णा डबराल — Krishna
7. श्री बृजेश चौहान — [signature]
8. डॉ. धनेन्द्र कुमार — Dhanendra

बैठक

आज दिनांक 17/08/2020 को कम्प्यूटर कक्ष मे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता मे समस्त विभाग प्रभारियो की बैठक आहूत की गई। बैठक मे निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की गई -

1 सभी प्राध्यापको को विषय पाठ्यक्रम तथा आन्तरिक परीक्षा संचालन करवाने संबंधी निर्देश दिए गए।

2 उक्त समिति को " कोविड स्थिति देखते हुए " आनलाईन शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

3 लोक सेवा आयोग द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों एवं नवप्रवेशित छात्र - छात्राओं हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम कराये जाए।

1. डॉ० बी० एस० पंवार Panwar
2. डॉ० प्रमोद कुमार Pramod
3. डॉ० शैला जोशी Sla
4. डॉ० मंजू भण्डारी MB
5. डॉ० दिनेश चन्द्र Dinesh
6. डॉ० रजनी लखपाल Rnl
7. श्री बृजेश चौहान
8. कु० कृष्णा डबराल Krishna
9. श्री खुशपाल Kr
10. डॉ० श्रीहरि प्रसाद Shrihari
11. डॉ० अशोक कुमार अग्रवाल Agarwal
12. श्री आलोक बिजल्वाण

बैठक

आज दिनाँक 06/08/2021 को प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में कम्प्यूटर लैब में सभी विभाग प्रभारियों की एक बैठक आहुत की गयी। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1. प्राचार्य द्वारा सभी उपस्थित प्रभारियों से विषय पाठ्यक्रम की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

2. महाविद्यालय में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं (प्रयोगात्मक, लिखित) आदि के विषय में आवश्यक निर्देश दिए गए।

03. ICT समिति को शिक्षण कार्य को ऑनलाईन माध्यम, पॉवर प्वाइन्ट से करवाने हेतु निर्देश दिए गए।

1. डॉ० विक्रम सिंह - Panwar
2. डॉ० प्रमोद कुमार - Pramod
3. डॉ० शैला जोशी - [signature]
4. डॉ० मन्जू भण्डारी - [signature]
5. श्री दिनेश चन्द्र - Dinesh
6. श्री बृजेश चौहान - [signature]
7. कु० कृष्णा डबराल - Krishna
8. श्री खुशपाल - [signature]
9. डॉ० श्रीहरि प्रसाद - Shrihari
10. डॉ० अशोक कुमार अग्रवाल - [signature]
11. श्री आलोक बिजल्वाण - [signature]

बैठक

आज दिनाँक 16/08/2022 को प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में कम्प्यूटर लैब में सभी विभाग प्रभारियों की एक बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी :

01. प्राचार्य द्वारा सभी उपस्थित प्रभारियों से विषय पाठ्यक्रम की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

02. परीक्षा समिति को परीक्षा से संबंधित आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

03. एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश दिए गए।

1. डॉ॰ विक्रम सिंह —
2. डॉ॰ प्रमोद कुमार —
3. डॉ॰ शैला जोशी —
4. डॉ॰ दिनेश चन्द्र —
5. डॉ॰ रजनी लस्याल —
6. श्री बृजेश चौहान —
7. डॉ॰ कृष्णा डबराल —
8. श्री खुशपाल —
9. श्री विनीत कुमार —
10. डॉ॰ अशोक कुमार अग्रवाल —
11. श्री आलोक बिजल्वाण —
12. श्री दीपक धर्मशक्तु —

FEEDBACK

Rajkiya Mahavidhyalaya Chinyalisaur, Uttarkashi

Students Feedback Form

Session...2021-22

Name....Prachi....Padiyar........ Class. B.A...1st...year

Q.1. The course contents is adequate and relevant to 21st century.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.2. How satisfied are you with the overall quality of education and academic program offered.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.3. The course includes theoretical as well as practical aspects of the knowledge

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.4. Course content is useful for employability, self-employment and internship.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.5. The contribution of the course in personality development.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.6. The teaching methods employed by the faculty effective in helping you understand the course material?

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.7. How well does the college infrastructure including classrooms; library and labs meet your academic needs.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.8. Inculcation of research culture through course.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.9. Inspiration for higher studies through curricula.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.10. The current syllabus is job oriented, skill based and value oriented

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.11. Are the assessment methods fair and transparent.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.12. Are the faculty members accessible and responsive to your academic quarries and concerns.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.13. How well does the college support your academic and personal development needs.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.14. How well does the college encourage and support extracurricular activities and student involvement.

A. Excellent B. Very Good C. Good D. Poor

Q.15. Overall how likely are you to recommend Rajkiya Mahavidhyalaya Chinyalisaur to prospective students looking for higher education.

A. Highly Recommended

B. Somewhat Likely

C. Not Recommended

कार्यालय – प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उत्तराखंड) 249196
ईमेल : gdcchinyalisaur@yahoon.in वेबसाइट : www.rmcuk.in फोन 01371 237154

Feedback Committee 2021-22

1. Mr Vineet Kumar – Convener
2. Mr Khuspal – Member
3. Mr Alok Bijalwan – Member

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

कार्यालय – प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी(उत्तराखंड) 249196
ईमेल : gdcchinyalisaur@yahoon.in वेबसाइट : www.rmcuk.in फोन 01371 237154

Action Taken Report 2021-22

A meeting of the feedback committee was held today on 5-9-2022 in which feedback forms for the academic session 2021-22 were evaluated. After the evaluation, unanimous decisions were taken on the following points-

1. **Library:** -the facility of reference books, magazines, and e-granthalaya should be implemented for the students.
2. **Computer:** - basic computer classes should be conducted for the students.
3. **Cleanliness:** - special care should be taken for the cleanliness of college premises, classrooms and toilets.
4. Alumni association should be registered.

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
चिन्यालीसौड उत्तरकाशी

Rajkiya Mahavidyalaya Chinyalisaur, Uttarkashi

Students Feedback Analysis Report (Session 2021-22)

Values in %

Questions	Excellent	Very Good	Good	Poor
Question No. 1	27	60	13	0
Question No. 2	46	47	7	0
Question No. 3	73	20	7	0
Question No. 4	67	20	13	0
Question No. 5	33	60	7	0
Question No. 6	73	27	0	0
Question No. 7	93	0	7	0
Question No. 8	33	67	0	0
Question No. 9	47	33	20	0
Question No. 10	46	47	7	0
Question No. 11	40	33	20	7
Question No. 12	80	20	0	0
Question No. 13	46	40	7	7
Question No. 14	60	40	0	0
Question No. 15	67	33	0	0

Question Wise Feedback Statistics Graphs

S.No.	Question No.	Statistics Graph
	Question No. 1	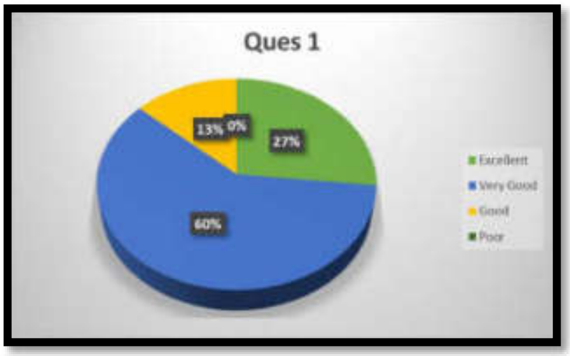
	Question No. 2	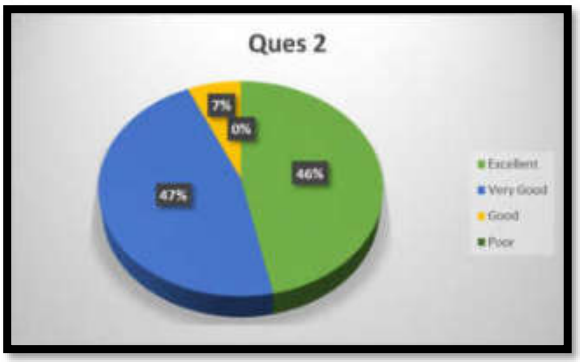
	Question No. 3	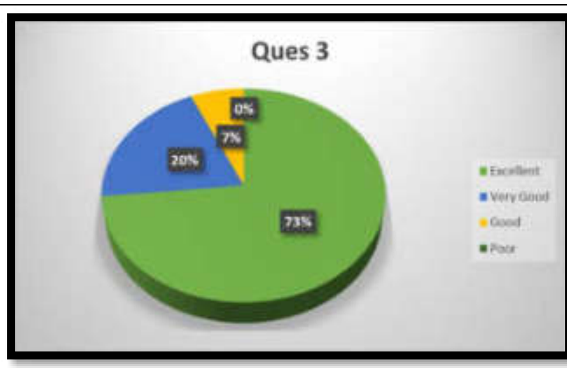

	Question No. 4	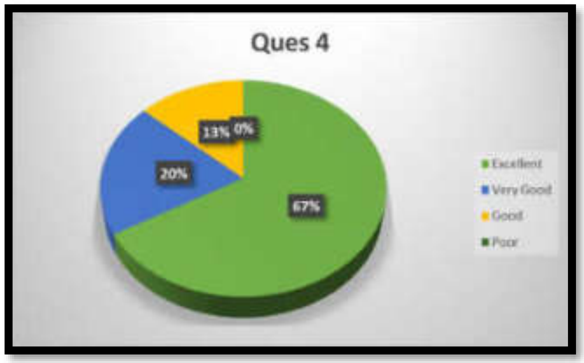
	Question No. 5	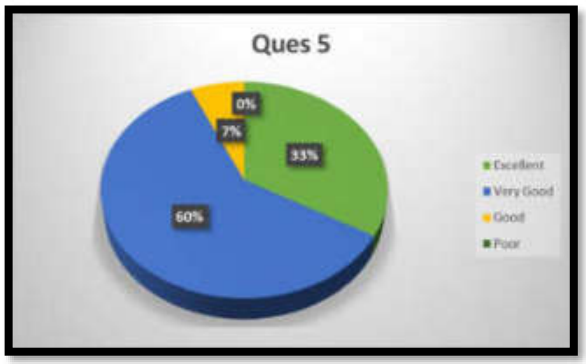
	Question No. 6	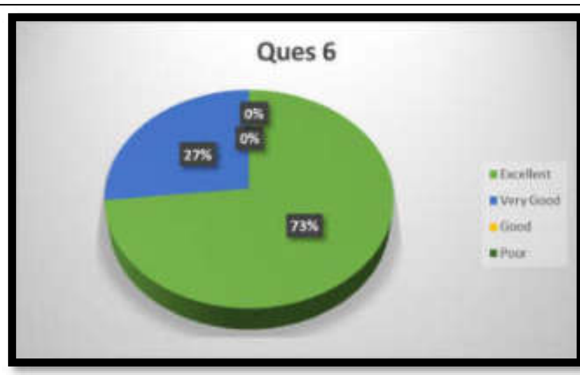
	Question No. 7	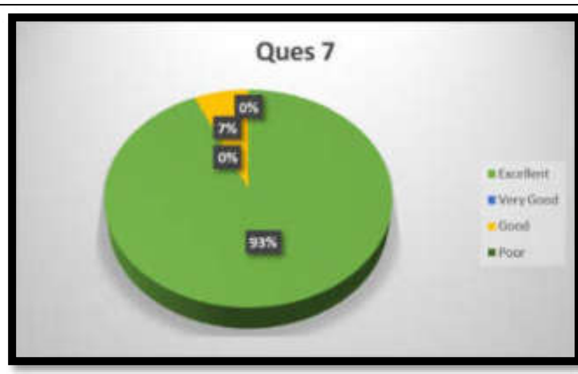

<table>
<tr><td></td><td>Question No. 8</td><td>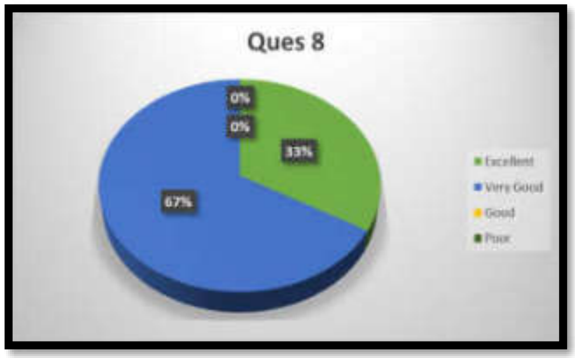
</td></tr>
<tr><td></td><td>Question No. 9</td><td>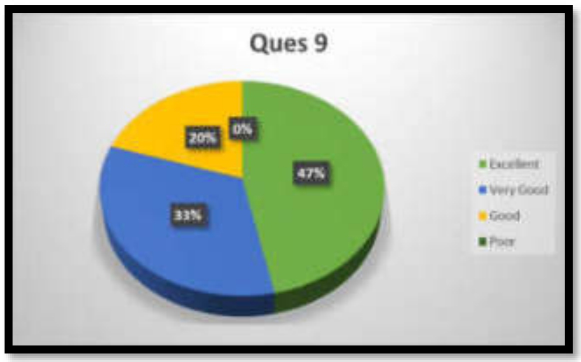
</td></tr>
<tr><td></td><td>Question No. 10</td><td>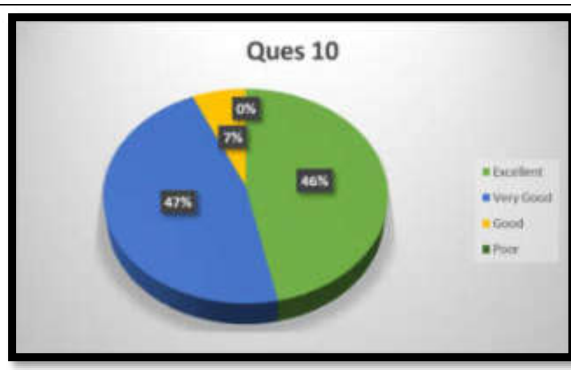
</td></tr>
<tr><td></td><td>Question No. 11</td><td>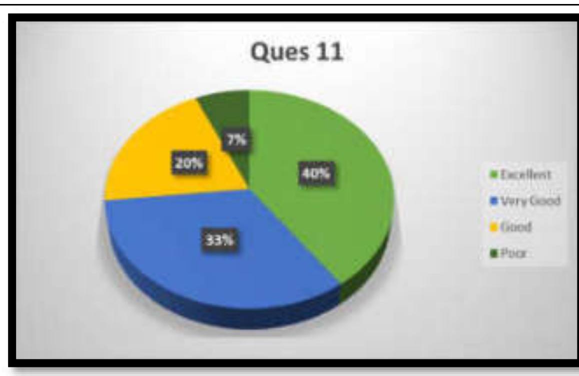
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Question No. 12</td><td>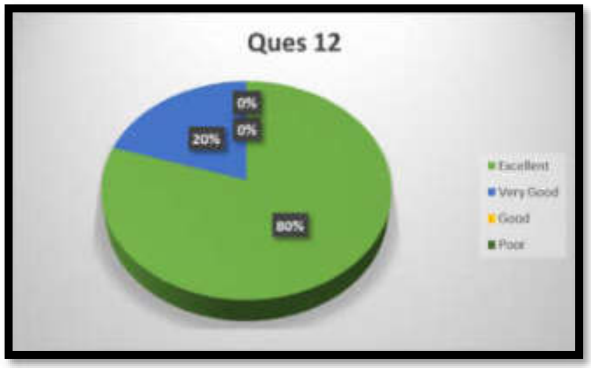
</td></tr>
<tr><td></td><td>Question No. 13</td><td>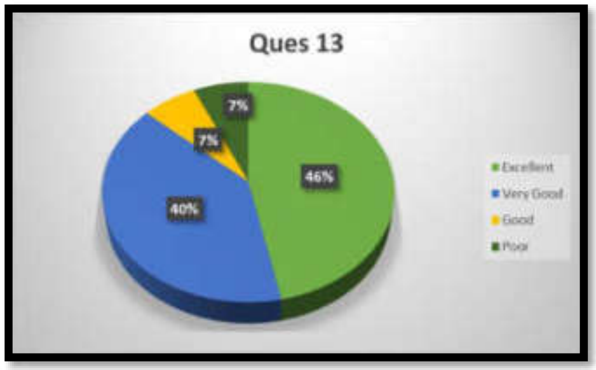
</td></tr>
<tr><td></td><td>Question No. 14</td><td>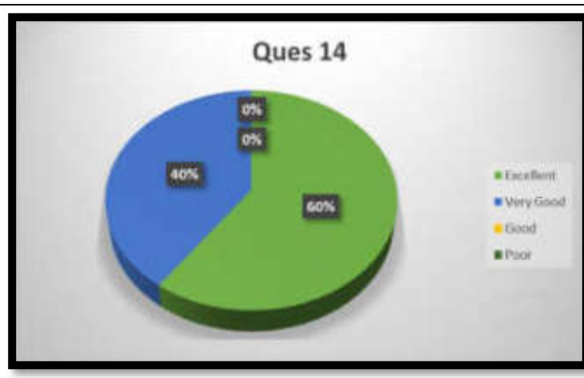
</td></tr>
<tr><td></td><td>Question No. 15</td><td>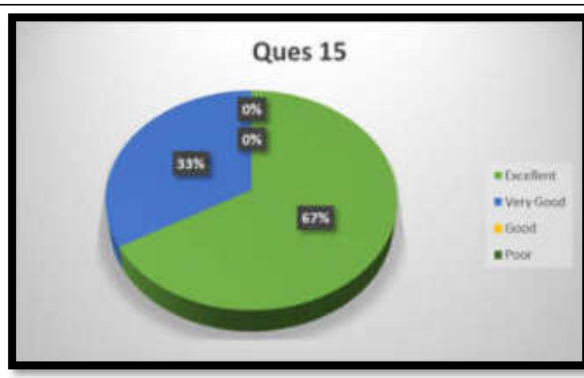
</td></tr>
</table>